



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 मार्च, 2021

फाल्गुन 19, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 574/52-2-2021-2(255)-03-टी०सी०

लखनऊ, 10 मार्च, 2021

अधिसूचना

प०आ०-72

चूँकि राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या 533/52-2-2021-2(255)-03-टी०सी०, दिनांक 6 मार्च, 2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर दी गयी है;

और, चूँकि, दिनांक 9 मार्च, 2021 को बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये पूर्वोक्त बोर्ड के नियुक्त सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी थी;

और, चूँकि, पूर्वोक्त बैठक में श्री जुफर अहमद फारुकी को बोर्ड के सदस्यों द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था;

अतएव, अब, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (ज) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से श्री जुफर अहमद फारुकी को पूर्वोक्त बोर्ड का अध्यक्ष अधिसूचित करती हैं।

आज्ञा से,
बी० एल० मीणा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 574/LII-2-2021-2(255)-03T.C., dated March 10, 2021 :

No. 574/LII-2-2021-2(255)-03T.C.

Dated Lucknow, March 10, 2021

WHEREAS the members of the Uttar Pradesh Sunni Central Board of Waqf has been appointed by the Governor *vide* notification no. 533/LII-2-2021-2(255)-03 T.C., dated March 6, 2021 ;

AND, WHEREAS, on March 9, 2021, a meeting/sitting of the appointed members of the aforesaid Board was convened for the election of the Chairperson of the Board ;

AND, WHEREAS, in the aforesaid meeting Shri Zufar Ahmad Faruqi was elected as the Chairperson of the aforesaid Board by the members thereof ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (h) of section 3 *read* with section 14 of the Waqf Act, 1995, the Governor is pleased to notify Shri Zufar Ahmad Faruqi as the Chairperson of the aforesaid Board with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,
B. L. MEENA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 791 राजपत्र-2021-(1680)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2021-(1681)-200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।